यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अगस्त्यमुनि (रूद्रप्रयाग)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अगस्त्यमुनि (रूद्रप्रयाग)** के माह 04/2010 से 01/2017 तक के अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री राकेश रंजन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 01.03.2017 से 04.03.2017 तक श्री एस.के. जौहरी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- उत्तराखण्ड राज्य गठन के बाद इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अगस्त्यमुनि सूदूरवर्ती छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराता है। शिक्षा से उनके व्यक्तित्व विकास, रोजगार इत्यादि का सृजन होता है। महाविद्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण रूद्रप्रयाग जनपद एवं निकटवर्ती टिहरी, पौड़ी, चमोली जनपदों के निवासी छात्र/छात्राओं भी अध्ययन के लिए महाविद्यालय में प्रवेश लेते है।

(II) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना				गैर स्थापना			
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत एवं समर्पण (-)	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत एवं समर्पण (-)
2010-11	NIL	NIL	161.98	152.67	-	9.30	24.68	23.95	-	.72
2011-12	NIL	NIL	159.20	148.19	-	11.00	19.37	18.81	-	.55
2012-13	NIL	NIL	179.31	166.60	-	12.71	22.80	20.59	-	2.2
2013-14	NIL	NIL	181.77	168.86	-	12.90	24.10	22.59	-	1.5
2014-15	NIL	NIL	248.81	192.46	-	56.34	38.03	37.62	-	.43
2015-16	NIL	NIL	206.58	191.86	-	14.71	55.61	54.10	-	1.5
2016-17 (01/2017 तक)	NIL	NIL	253.74	175.56	-	78.17	77.89	63.30	-	14.58

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
2010-11	धनराशि उपलब्ध नहीं हुई।					
2011-12	धनराशि उपलब्ध नहीं हुई।					
2012-13	धनराशि उपलब्ध नहीं हुई।					
2013-14	धनराशि उपलब्ध नहीं हुई।					
2014-15	धनराशि उपलब्ध नहीं हुई।					

2015-16	धनराशि उपलब्ध नहीं हुई।					
2016-17 (01/2017 तक)	Block Debelopment Grant (UGC)	Nil	2120000	1050140	-	1069860

(III) महाविद्यालय को बजट आवंटन शासन/निदेशालय से प्राप्त होता है।

(IV) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

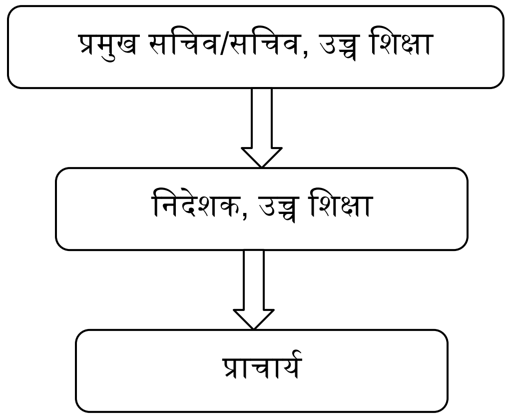

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः- लेखापरीक्षा में **कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अगस्त्यमुनि (रूद्रप्रयाग)** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अगस्त्यमुनि (रूद्रप्रयाग)** की लेखा परीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(VI) विस्तृत जांच हेतु माह का चयनः व्यय हेतु माह अगस्त 2012, अक्टूबर 2015, अगस्त 2016 एवं जनवरी 2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया है। इसी, प्रकार, राजस्व हेतु माह सितम्बर 2011, अगस्त 2013, अगस्त 2014 एवं अगस्त 2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम प्राप्ति के आधार पर किया गया है।

योजना का चयनः लेखापरीक्षा में निम्नलिखित 03 योजनाओं का विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन उक्त योजनाओं के अंतर्गत अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

1. राष्ट्रीय सेवा योजना
2. इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय केन्द्र

(VI) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखपरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-III</u>

1- विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो(अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो(ब) प्रस्तर संख्या	STAN
उत्तराखण्ड राज्य गठन के बाद इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
उत्तराखण्ड राज्य गठन के बाद इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।				

* वर्ष 2002-03 की भाग-दो(ब) की 2 प्रस्तर लेखापरीक्षा दल को प्रस्तुत कराया गया परंतु उनकी अनुपालन आख्या भेजा गया या नहीं इकाई यह बताने में असमर्थ था

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक माह मासिक प्रगति रिपोर्ट को बनाया जा रहा था।

महाविद्यालय में समस्त अभिलेखों का रख-रखाव सही ढंग से किया गया था।

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अगस्त्यमुनि सूदूरवर्ती छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराता है। शिक्षा से उनके व्यक्तित्व विकास, रोजगार इत्यादि का सृजन होता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-1- प्रतिभूति जमा निधि (काशन मनी) के अभिप्रेत उद्देश्य से इतर ` 7.07 लाख का अनियमित व्यय।

काशन मनी छात्रों से प्रतिभूति के रूप में प्राप्त धनराशि है। जिसे छात्रों को महाविद्यालय छोड़ने के पश्चात वापस तिये जाने का प्रावधान है। छात्रों द्वारा इसे वापस प्राप्त न किये जाने की स्थिति में भी उपलब्ध धनराशि को अन्य मदों पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए। इकाई के प्रतिभूति जमा निधि से संबंधित अभिलेखों एवं लेजर आदि के निरीक्षण में पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा अधिकांशतः इस निधि का प्रयोग अन्य मदों में व्यय करने हेतु किया जा रहा था जिसके लिये न तो निदेशालय स्तर पर इसकी जानकारी दी गयी थी और न ही सक्षम प्राधिकारी से इसकी अनुमति प्राप्त की गयी। इस मद से कुल ` 7,98,062/- की धनराशि का प्रयोग अन्य मदों के व्ययों/व्यय हेतु अग्रिम प्रदान करने में किया गया जिसमें से ` 91000/- की धनराशि के प्रदत्त अग्रिम समायोजित कर धनराशि वापस काशन मनी खातें में जमा की गयी परन्तु शेष ` 7,07,062/- की धनराशि अन्य व्ययों के भुगतान हेतु व्यय की गयी। **(सलंग्नक 'क')**

इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि अन्य मदों में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण इस मद से व्यय किया गया तथा पूर्व में भी अन्य मदों के व्ययों का इस मद से भुगतान किया गया है। इकाई का उत्तर स्वतः इस तथ्य की पुष्टि करता है कि इकाई द्वारा प्रतिभूति जमा निधि का उपयोग संबंधित मद में न करके अन्य मदों में किया गया जो अनियमित व्यय था। इस प्रकार काशन मनी से ` 7.07 लाख की धनराशि का अन्य मदों पर अनियमित व्यय किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

सलंग्नक-क

काशन मनी से अन्य मदों में किये गये व्ययों की सूचि

क्रमांक	प्रयोजन	धनराशि	माह
1.	नगर पंचायत का शुल्क	45,787	01/2016
2.	60 KV के ट्रांसफारमर हेतु	1,31,592	01/2016
3.	राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर	30,000	02/2016
4.	निदेशक, उरेडा	10,000	02/2016
5.	टेलीफोन बिल	1,667	04/2015
6.	टेलीफोन बिल	1,239	04/2015
7.	टेलीफोन बिल	2,797	01/2015
8.	बिल का भुगतान	35,542	10/2014
9.	बायोमैट्रिक मशीन का भुगतान	19,480	10/2014
10.	हास्टल भवन के मानचित्र हेतु	20,200	10/2014
11.	यात्रा भत्ता का भुगतान	30,000	08/2014
12.	महाविद्यालय के अवशेष भुगतान	7,989	02/2014
13.	विद्युत बिल का भुगतान	8,549	11/2013
14.	टेलीफोन बिल	2,981	08/2013
15.	टेलीफोन बिल	2,672	07/2013
16.	टेलीफोन बिल	2,920	04/2013
17.	टेलीफोन बिल	15,460	02/2013
18.	टेलीफोन बिल	10,183	12/2012
19.	टेलीफोन बिल	2,821	11/2012
20.	NAAC टीम के यात्रा भत्ता	1,00,000	10/2012
21.	NAAC टीम की निरीक्षण व्यवस्था	10000	10/2012
22.	NAAC टीम की निरीक्षण व्यवस्था	30000	10/2012
23.	टेलीफोन बिल का भुगतान	17792	06/2012
24.	टेलीफोन बिल का भुगतान	20867	05/2012
25.	NAAC डाक्यूमेन्ट वाइडिंग	10000	12/2011
26.	टेलीफोन बिल	20454	08/2011
27.	डाक टिकट क्रय	2000	08/2011

28.	टेलीफोन बिल	9552	05/2011
29.	टेलीफोन बिल	1654	11/2010
30.	विज्ञापन बिल का भुगतान	12864	11/2010
योग		**707062**	

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2-` 8.71 लाख की अर्जित ब्याज की धनराशि को सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा नहीं कराया जाना।

प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्रांक संख्या 875(1)/वित्त विभाग-3/2003 दिनांक 30 अप्रैल 2003 द्वारा शासकीय विभागों के कार्यों हेतु बैंक में खाता खोलने का कोई प्रावधान नहीं है जब तक शासन के वित्त विभाग द्वारा विशेष कार्य/अवधि हेतु अनुमति प्रदान न की गई हो। यदि कोई खाता खोला गया हो तो उस पर प्राप्त अर्जित ब्याज को सुसंगत लेखाशीर्षक 0049 ब्याज प्राप्तियों में तत्काल जमा कर दिया जाए।

कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अगस्त्यमुनि (रूद्रप्रयाग) के अंतर्गत खोले गए विभिन्न बैंक खातों की नमूना जांच में पाया गया कि निम्नलिखित बैंकों में लेखापरीक्षा अवधि तक ` 8,71,392/- की धनराशि अर्जित ब्याज के रूप में पड़ी हुई थीः

क्रम संख्या	बैंक का नाम तथा खाता संख्या	अद्यतन बैंकों से प्राप्त ब्याज की धनराशि
1.	894- काशन मनी खाता	3,76,945.00
2.	889- महाविद्यालय पत्रिका	1,59,313.00
3.	896- क्रीड़ा निधि खाता	1,20,869.00
4.	8449- रोवर्स – रेंजर्स	73,836.00
5.	8450 – प्रांगण विकास	73,416.00
6.	7456 – सांस्कृतिक परिषद	67,013.00
कुल धनराशि		**` 8,71,392.00**

उक्त के विषय में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अगस्त्यमुनि (रूद्रप्रयाग) ने उक्त तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया कि उक्त ब्याज की धनराशि को यथाशीघ्र उचित लेखाशीर्ष में जमा करा दिया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ब्याज द्वारा अर्जित धनराशि को सुसंगत लेखाशीर्षक 0049 ब्याज प्राप्तियों में तत्काल जमा करा देना चाहिए था।

अतः ` 8.71 लाख की अर्जित ब्याज की धनराशि को सुसंगत लेखाशीर्ष में नहीं जमा कराने संबंधी प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अगस्त्यमुनि (रूद्रप्रयाग)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

(अ) शून्य

3. सतत् अनियमितताएः-

(अ) शून्य

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डॉ.चन्द्र राम,	प्राचार्य	11.10.2012
2.	डॉ. पी.एस. जंगवाण,	प्राचार्य	12.10.2012 से अद्यतन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अगस्त्यमुनि (रूद्रप्रयाग)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)